संख्या-336/2024/612/22-2-2023-17(1181)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 04 दिसम्बर, 2024*

विषय:- जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी घरभरन पुत्र श्री कन्हई, जनपद-महराजगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी घरभरन पुत्र श्री कन्हई, निवासी-अहरौली, टोला-मदरहां, थाना-परसामलिक, जनपद-महराजगंज है। बन्दी द्वारा पैसे के लिए गलत धन्धा कराने के विरोध को लेकर दिनांक 13.03.2008 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी शकुन्तली की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-83/2012 भा0द0वि0 की धारा 302/34, 201, 3(1) यू०पी०जी० एक्ट के अन्तर्गत मा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट न0-02 महराजगंज के दण्डादेश दिनाक 23.12.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 15.04.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 26 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 07 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा अपनी आख्या में सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में इस तरह के अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त नही होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का कोई सार्थक प्रयोजन नही होने एवं परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत समयपूर्व की संस्तुति नही की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र 39 वर्ष तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विधारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी घरभरन (बन्दी संख्या-820/2016) पुत्र श्री कन्हई, जनपद-महराजगंज की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-336/2024/612(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।